प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़, दिनांक 26.03.2025

थाना-पट्टी, जनपद- प्रतापगढ़

थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत भरोखन पुलिया तथा कलिना नहर पुलिया के बीच थाना पट्टी, थाना आसपुर देवसरा पुलिस व स्पेशल टीम की संयुक्त टीम से हुई मुठभेड़ में 25000/- रुपये के ईनामिया 01 शातिर अभियुक्त के पैर में लगी गोली व अन्य 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा घायल अभियुक्त विनोद गौतम पर 25000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। जो थाना आसपुर देवसरा में वर्ष 2021 से गोवध निवारण, पशु क्रूरता अधि0, हत्या का प्रयास के अभियोग में वांछित चल रहा था।

अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस, 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर एवं 02 अदद सफेद रंग की पिकअप गाड़ी, 01 अदद भैंस व 05 पड़िया, 01 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घायल अभियुक्त विनोद गौतम उपरोक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में गोवध निवारण, पशु क्रूरता अधि0, हत्या का प्रयास जैसे 03 अभियोग पंजीकृत है।

घायल अतुल विनोद गौतम को ईलाज हेतु सीएचसी पट्टी ले जाया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 26.03.2025 को रात्रि को ASP(E) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व CO पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी के नेतृत्व मे थाना पट्टी, थाना आसपुर देवसरा पुलिस व स्पेशल टीम की संयुक्त टीम द्वारा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत भरोखन पुलिया तथा कलिना नहर पुलिया के बीच चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में गोवध निवारण, पशु क्रूरता, हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 25000/- रुपये के ईनामिया 01 शातिर अभियुक्त विनोद गौतम पुत्र छोटेलाल गौतम निवासी सलाहपुर थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष के दाहिने पैर में गोली है एवं अन्य 01 अभियुक्त शेरा पुत्र मुंशी निवासी गुरसण्डा टाडा थाना पिसावा जनपद सीतापुर हाल पता फत्तूपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर मौके से गिरफ्तार किया गया है । घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु सीएचसी पट्टी ले जाया गया है। 02 बदमाश मौके से रात्रि में अंधेरे व भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर भाग निकले।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा घायल अभियुक्त विनोद गौतम पर 25000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। जो थाना आसपुर देवसरा में वर्ष 2021 से गोवध निवारण, पशु क्रूरता अधि0, हत्या का प्रयास के अभियोग में वांछित चल रहा था।अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस, 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर एवं 02 अदद सफेद रंग की पिकअप गाड़ी, 01 अदद भैंस व 05 पड़िया, 01 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ में गोवध निवारण, पशु क्रूरता अधि0, हत्या के प्रयास जैसे लगभग 03 अभियोग पंजीकृत है। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

दिनांक- 04.09.2021 को अभियुक्तों द्वारा थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रा0 ग्राम कोपा के पास पुलिया से 15 बोरा गोमांस जो थाना पट्टी क्षेत्र के ग्राम करनपुर के पास से काटकर ले जा रहे थे। पुलिस की सक्रिता की वजह से गिराकर भाग गये थे। दिनांक 19.09.2021 को थाना पट्टी क्षेत्र के बीबीपुर करनपुर में पुलिस के पहुँचने पर एक स्कार्पियों गाड़ी व दो मो.साईकिल अपाचे तथा गो मांस छोड़ कर भाग गये थे।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 29/30.09.2021 को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तो के कब्जे से 20 राशि गोवंश, 02 अदद पिकअप, 01 मैजिक (पिकअप) व 01 अदद मो.सा. व अवैध-तमंचा कारतूस व गोवध करने के औजार के साथ 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। जिसके संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 227/2021 धारा 147, 148, 149, 307, 120बी भादवि व धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 उ0प्र0 पशु क्रूरता निवारण अधि0 बनाम 107 व्यक्तियों नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

आपराधिक इतिहास-

विनोद गौतम पुत्र छोटेलाल गौतम निवासी सलाहपुर थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0 227/2021 धारा 147, 148, 149, 307, 120बी भादवि व धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 उ0प्र0 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़।

02- मु0अ0सं0 110/2018 धारा 323, 427,504,506 भादवि थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़।

03- मु0अ0सं0 217/2021 धारा 147, 148, 149, 307, 120बी भादवि थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़।